



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं:- 2023/214

दर्ज तिथि:-17.07.2023

1. उदा वल्द नाथा
 2. कालूराम वल्द जवाराराम
 3. गिरधारी वल्द नाथा
 4. चूना वल्द पाता
 5. जेठा वल्द आदू
 6. तेजा वल्द नाथा फौत के कायम मुकाम
6/1 हरूराम वल्द तेजा
6/2 हितेश वल्द तेजा
6/3 अशोक वल्द तेजा
6/4 झमूदेवी पत्नी तेजा
6/2, 6/3 नाबालिग की कुदरती वली माता झमूदेवी
 7. नरसी वल्द अजा
 8. नानजी वल्द पता
 9. पुरखा वल्द अजा
 10. पांचा वल्द नाथा
 11. बबरीदेवी पत्नी जवाराराम
 12. बाबू वल्द नाथा
 13. मोडूराम वल्द जवाराराम
 14. सुन्दर पत्नी पता
- जातियान भील निवासी मौखावा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....वादी

बनाम

1. सांवलाराम वल्द जोगा
 2. टीपू पत्नी जोगा
 3. धना वल्द जोगा
- जाति भील निवासी मौखावा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादी

4. तहसीलदार गुडामालानी

.....तकमीली प्रतिवादी



5. आम्बाराम वल्द सादुलाराम

जाति भील साकिन वाटेरा, तहसील बागोड़ा जिला सांचौर

.....संयोजित असल प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री चिमनसिंह चौधरी

प्रतिवादी - श्री जगदीश कड़वासर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53, 188

राजस्थान काश्त0 अधिनियम-1955

:-निर्णय:-

निर्णय तिथि:-28.04.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 1011/0.1862 है0, 1012/2/3.5774 है0 मौजा मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 05 के अतिरिक्त सभी प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 05 ने माफिक हक हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस अनुसार बंटवारा किया जाने का निवेदन किया। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा दौरान-ए-बहस बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने पर सहमति प्रदान करने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 04.04.2024 को जारी की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी से कुर्रजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/428 दिनांक 20.03.2025 के द्वारा राजस्थान

काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी एवं प्रतिवादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुड़मालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/428 दिनांक 20.03.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 06.03.2025 को तहसीलदार गुड़मालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़मालानी के नोटिस पत्रांक 1011-1031 दिनांक 08.11.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 12.11.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़मालानी के नोटिस पत्रांक 1011-1031 दिनांक 08.11.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 12.11.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

3. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2075-2078 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 1011/0.1862 है0, 1012/2/3.5774 है0 मौजा मौखावा तहसील गुड़मालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामिल कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक

विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जिन पर विश्लेषण इस प्रकार है:-

प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:- प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह-काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय- अपूरणीय क्षति:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 1011/0.1862 है0, 1012/2/3.5774 है0 मौजा मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला

बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।


खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
नरसी पुत्र अजा जाति भील	मौखावा	1012 / 22	0.2023	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.2023 है0				
पुरखा पुत्र अजा जाति भील	मौखावा	1012 / 2	1.1735	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.1735 है0				
कालूराम पुत्र जवाराराम मोड़ूराम पुत्र जवाराराम बबरीदेवी पत्नी जवाराराम जाति भील	मौखावा	1012 / 2 1012 / 2	0.1942 0.2590	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 0.4532 है0				
जेठा पुत्र आदू जाति भील	मौखावा	1011 1012 / 2	0.1376 0.4209	गै0मु0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 0.5585 है0				
उदा पुत्र नाथा गिरधारी पुत्र नाथा तेजा पुत्र नाथा पांचा पुत्र नाथा बाबू पुत्र नाथा जाति भील	मौखावा	1012 / 2	0.1942	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.1942 है0				
चूना पुत्र पता नानजी पुत्र पता सुन्दर पत्नी पता जाति भील	मौखावा	1012 / 2	0.1942	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.1942 है0				
सांवलाराम पुत्र जोगाराम धनाराम पुत्र जोगाराम टीपू पत्नी जोगाराम जाति भील	मौखावा	1011	0.0486	गै0मु0
कुल किता 01 रकबा 0.0486 है0				
आम्बाराम पुत्र सादूलाराम जाति भील	मौखावा	1012 / 2	0.8903	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.8903 है0				
पुरखा पुत्र अजा नरसी पुत्र अजा कालूराम पुत्र जवाराराम मोड़ूराम पुत्र जवाराराम बबरीदेवी पत्नी जवाराराम जेठा पुत्र आदू उदा पुत्र नाथा	मौखावा	1012 / 2	0.0488	बा0दो0

गिरधारी पुत्र नाथा तेजा पुत्र नाथा पांचा पुत्र नाथा बाबू पुत्र नाथा चूना पुत्र पता नानजी पुत्र पता सुन्दर पत्नी पता जाति भील				
कुल किता 01 रकबा 0.0488 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुडामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुडामालानी-बाड़मेर

गुडामालानी



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं.:- 2023/214

दर्ज तिथि:-17.07.2023

1. उदा वल्द नाथा
 2. कालूराम वल्द जवाराराम
 3. गिरधारी वल्द नाथा
 4. चूना वल्द पाता
 5. जेठा वल्द आदू
 6. तेजा वल्द नाथा फौत के कायम मुकाम
6/1 हरूराम वल्द तेजा
6/2 हितेश वल्द तेजा
6/3 अशोक वल्द तेजा
6/4 झमूदेवी पत्नी तेजा
6/2, 6/3 नाबालिग की कुदरती वली माता झमूदेवी
 7. नरसी वल्द अजा
 8. नानजी वल्द पता
 9. पुरखा वल्द अजा
 10. पांचा वल्द नाथा
 11. बबरीदेवी पत्नी जवाराराम
 12. बाबू वल्द नाथा
 13. मोडूराम वल्द जवाराराम
 14. सुन्दर पत्नी पता
- जातियान भील निवासी मौखावा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....वादी

बनाम

1. सांवलाराम वल्द जोगा
2. टीपू पत्नी जोगा
3. धना वल्द जोगा
जाति भील निवासी मौखावा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादी

4. तहसीलदार गुडामालानी

.....तकमीली प्रतिवादी

5. आम्बाराम वल्द सादुलाराम

जाति भील साकिन वाटेरा, तहसील बागोड़ा जिला सांचौर

.....संयोजित असल प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री चिमनसिंह चौधरी

प्रतिवादी - श्री जगदीश कड़वासर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53, 188

राजस्थान काश्त0 अधिनियम-1955

-:पर्चा डिक्री:-

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 1011/0.1862 है0, 1012/2/3.5774 है0 मौजा मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
नरसी पुत्र अजा जाति भील	मौखावा	1012 / 22	0.2023	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.2023 है0				
पुरखा पुत्र अजा जाति भील	मौखावा	1012 / 2	1.1735	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.1735 है0				
कालूराम पुत्र जवाराराम	मौखावा	1012 / 2	0.1942	बा0दो0
मोडूराम पुत्र जवाराराम		1012 / 2	0.2590	बा0दो0
बबरीदेवी पत्नी जवाराराम जाति भील				
कुल किता 02 रकबा 0.4532 है0				
जेठा पुत्र आदू जाति भील	मौखावा	1011 1012 / 2	0.1376 0.4209	गै0मु0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 0.5585 है0				
उदा पुत्र नाथा गिरधारी पुत्र नाथा तेजा पुत्र नाथा पांचा पुत्र नाथा बाबू पुत्र नाथा जाति भील	मौखावा	1012 / 2	0.1942	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.1942 है0				
चूना पुत्र पता	मौखावा	1012 / 2	0.1942	बा0दो0

नानजी पुत्र पता सुन्दर पत्नी पता जाति भील				
कुल किता 01 रकबा 0.1942 है0				
सांवलाराम पुत्र जोगाराम धनाराम पुत्र जोगाराम टीपू पत्नी जोगाराम जाति भील	मौखावा	1011	0.0486	गै0मु0
कुल किता 01 रकबा 0.0486 है0				
आम्बाराम पुत्र सादूलाराम जाति भील	मौखावा	1012/2	0.8903	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.8903 है0				
पुरखा पुत्र अजा नरसी पुत्र अजा कालूराम पुत्र जवाराराम मोडूराम पुत्र जवाराराम बबरीदेवी पत्नी जवाराराम जेठा पुत्र आदू उदा पुत्र नाथा गिरधारी पुत्र नाथा तेजा पुत्र नाथा पांचा पुत्र नाथा बाबू पुत्र नाथा चूना पुत्र पता नानजी पुत्र पता सुन्दर पत्नी पता जाति भील	मौखावा	1012/2	0.0488	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.0488 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काशत में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाड़मेर